राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित :-

1- समस्त सम्भागीय आयुक्त , राजस्थान ।

2- समस्त जिला कलेक्टर , राजस्थान ।

3- निबन्धक , राजस्व मण्डल , अजमेर ।

क्रमांक :प .5(2) (राज-4/80/ [illegible] जयपुर, दिनांक 26 [illegible]

-: परिपत्र :-

विषय:- खेतों की सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में ।

==========

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 की धारा - 128 में खेतों के सीमा विवाद के प्रकरणों को निपटारे के प्रावधान दिए हुए हैं । इन प्रावधानों के अन्तर्गत खेतों की सीमा के विवाद भू -अभिलेख अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा -111 में दिए गए तरीके से ही निपटाये जायेंगे । साथ ही जिन मामलों में विवाद नहीं हो उनका निपटारे हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया गया है । राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5(2) (राजस्व-4/80/36 दिनांक 4-9-82 के द्वारा ये निर्देश भी दिएगए हैं कि धारा - 128 के तहत अविवादित सीमा ज्ञान के मामलों को निपटारे के लिए तहसीलदारों को दिए गए अधिकारों का प्रयोग सम्बन्धित ग्राम पंचायतें भी करेंगी । इस प्रयोजनार्थ जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्राप्त होंगे उन्हें तहसीलदार अपने यहां इन्द्राज कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा । ग्राम पंचायत इन प्रार्थना - पत्रों का निपटारा प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर करेगी । यदि ग्राम पंचायत 45 दिन में निपटारा नहीं करती है तो ऐसे प्रार्थना - पत्र वापिस तहसीलदार को हस्तान्तरित हो जायेंगे जो उन्हें प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटायेंगे ।

लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि सीमा विवाद प्रार्थना - पत्रों का निपटारा समय पर नहीं किया

......2 पर

जाता तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है जिससे काश्तकारों को काफी कठिनाई होता है । अत: पुन: निर्देश दिए जाते हैं कि सीमा विवाद के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना - पत्रों का निस्तारण शीघ्र करवाया जावे तथा साथ ही जिला कलेक्टर को चाहिए कि जिला स्तर एवं उप खण्ड स्तर पर ऐसे प्रकरणों की मासिक समीक्षा की जावे तथा प्रगति प्रतिवेदन सम्भागीय आयुक्त , राजस्व मण्डल व राज्य सरकार को भी प्रेषित किए जावें । कृपया इन निर्देशों की समुचित पालना किया जाना सुनिश्चित करें ।

(के ० पी ० सिंघल)
शासन उप सचिव